[20/12/2019]

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 660 द्वारा श्री ठाकुरदास नांगवंशी

विषय :– बनखेड़ी लिंक राड़ के गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य के संबंध में।

प्रपत्र–अ

क्रमांक	मार्ग का नाम व लम्बाई	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि (लाख में)	अनुबंधानसुार कार्य प्रारंभ करने का दिनांक	ठेके की राशि (लाख में)	आंशिक क्षतिग्रस्त होने का कारण	ठेकेदार पर की गई कार्यवाही	टीप
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बनखेड़ी लिंक रोड़ का बी.टी. नवीनीकरण कार्य लम्बाई 1.20 कि.मी.	14.58	06.10.18	14.58	डामरीकरण करने के पश्चात् नगर परिषद बनखेड़ी द्वारा शोल्डर के पास पानी सप्लाई की पाईप लाईन डालने हेतु जे.सी.बी. से 1.00 मीटर चौड़ी एवं 2.00 मीटर गहरी नाली खोदने पर निकली मिटटी डामरीकृत सतह के किनारे पर डाली गई एवं जे.सी.बी. द्वारा जगह–जगह जैक लगाने के कारण मार्ग खराब हुआ। मार्ग के दूसरी तरफ भी टेलीफोन विभाग के द्वारा केवल लाईन बिछाने हेतु नाली खोदी गई जिसकी मिटटी भी मार्ग के किनारे पर डाली गई थी। तथा जे.सी.बी. के जैक लगाने से मार्ग पर गडढों हो गये जिसे बारिश के कारण सी.आर.एम. से भरा गया। मार्ग के किनारों पर डाली गई मिटटी वर्षा अधिक होने के कारण मार्ग पर आ गई। विभाग/ ठेकेदार द्वारा गडढों में मिटटी नहीं डाली गई, अधिक वर्षा तथा मिटटी के कारण मार्ग की बी.टी. सतह खराब हुई है जिसे पुनः ठीक कराने हेतु ठेकेदार को अनुबंधानुसार निर्देशित किया गया है एवं किये गए कार्य का अभी तक ठेकेदार को कोई भुगतान नहीं किया गया एवं कार्य को अमान्य किया गया है। जिसे अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उपसंभाग पिपरिया द्वारा उनके पत्र क्र. 701 दिनांक 25.09.19 द्वारा ठेकेदार को अमान्य किया गया बाबत सूचित किया गया। अभी ठेकेदार को भुगतान नहीं किये जाने के कारण किसी भी प्रकार की जांच कराने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।	अधिक वर्षा से डामरीकृत सतह खराब होने के कारण पुनः डामरीकरण कराने हेतु ठेकेदार से कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग होशंगाबाद के पत्र क्र. 3760 दिनांक 22.08.19 से लिखा गया। पत्र की छायाप्रति संलग्न है। ठेकेदार को काली सूची में दर्ज करने हेतु कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग होशंगाबाद के पत्र क्र. 6490 दिनांक 10.12.2019 द्वारा अनुशंसा की गई जिसके आधार पर मुख्य अभियंता, (रा.प.), लोक निर्माण विभाग, भोपाल द्वारा पत्र क्र 6287 दिनांक 11.12.2019 द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है। **(परिशिष्ट –1 संलग्न)**	प्रश्न सं. [क्र. 660]

परिशिष्ट–1

कायोलय मुख्य अभियंता, (राजधानी परिक्षेत्र)
लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल म0प्र0

क्रमांक 6287/सा/32/पंजीयन/होशंगाबाद/रा.प./2019 भोपाल, दिनांक 11/12/2019

प्रति,

मेसर्स संजय पलिया,
प्रो0 श्रीमति जयश्री पलिया ठेकेदार,
शोभापुर रोडा, पिपरिया
जिला, होशंगाबाद।

कारण बताओ सूचना
पंजीयकृत डाक द्वारा

विषयः– बनखेडी लिंक मार्ग पर बी.टी. रिन्युअल कार्य (अनुबंध क–92डी.एल. 2018–19)

—00—

विषयांन्तर्गत कार्यपालन यंत्री, लो0नि0वि0, संभाग होशंगाबाद ने उनके पत्र क्–6489–90 दिनांक 10.12.2019 द्वारा अवगत कराया है, कि संभागीय कार्यालय के पत्र क–761 दि 26.09.2019, अनुविभागीय अधिकारी उपसंभाग पिपरिया के पत्र क–534 दि 31.07.2019, पत्र क–583 दि 20.08.2019, संभागीय कार्यालय के पत्र क–3760 दि 22.08.2019, अनुविभागीय अधिकारी उपसंभाग पिपरिया के पत्र क–700 दि 29.09.2019, एवं संभागीय कार्यालय पत्र क–5780 दि 01.11.2019, के माध्यम से उक्त मार्ग को सुधार करने हेतु आपको बार–बार निर्देशित करने पर भी आपके द्वारा मार्ग का सुधार कार्य आज दिनाक तक नही किया गया है। आपके द्वारा कार्य प्रारंभ करने हेतु कोई सकारात्मक पहल नहीं किये जाने के कारण विभाग की छवि धूमिल हो रही है। आम जनता को मार्ग के लाभ से वंचित होना पड रहा है।

अतः इस कृत्य हेतु यह कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर आपको लेख किया जाता है, कि यदि इस संबंध में आप कुछ कहना चाहते है, तो लिखित अथवा समक्ष में उपस्थित होकर पत्र प्राप्ति के 15 दिवस की समयसीमा में उत्तर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा यह मानकर की आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते है, एक पक्षीय कार्यवाही के अन्तर्गत आपका पंजीयन मध्यप्रदेश शासन,लोक निर्माण विभाग,मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्.एफ–17–1/2010/बी./19/243, दि. 24.3.15 के बिन्दु क्रमांक '6' में निहित प्रावधान अनुसार काली सूची में दर्ज किये जाने की कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वंय होगी।

सहपत्रः–शून्य।

11/12/19
o/c मुख्य अभियंता (रा0प0)
लोक निर्माण विभाग, भोपाल

पृष्ठांकन क्. 6288/सा/32/पंजीयन/होशंगाबाद/रा.प./2019 भोपाल, दिनांक 11/12/2019

प्रतिलिपिः–

1 मुख्य अभियंता (यो./ब.) कार्या.प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि.भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2 अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग, मण्डल होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
3 कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग ,संभाग होशंगाबाद की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि आपके द्वारा उक्त प्रस्ताव ठेकेदार के पंजीयन की प्रतिलिपि के बिना ही भेजा गया है, जो उचित नही है। अतः आपको स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि **ठेकेदार मेसर्स संजय पलिया प्रो.श्रीमति जयश्री पलिया** के पंजीयन की प्रति लौटती डाक से अनिवार्यतः प्रस्तुत करे अन्यथा यदि भविष्य में इस कार्यालय द्वारा ठेकेदार के पंजीयन के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है और पंजीयन आई.डी. के अभाव में आनलाईन समान प्रकिया दर्ज न कर पाने की स्थिति में यदि ठेकेदार द्वारा शासन के विभागों में कोई भी कार्य प्राप्त कर लिया जाता है तो इसके लिये केवल आप ही पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगें, साथ ही आप अपने स्तर से भी ठेकेदार को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सहपत्रः–शून्य।

11/12/19
o/c मुख्य अभियंता (रा0प0)
लोक निर्माण विभाग, भोपाल